99

II/निग०/शहडोल/2018/0435

न्यायालय श्री मान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर
सर्किट कोर्ट रीवा (म०प्र०)

निगरानी क्र०...../2018

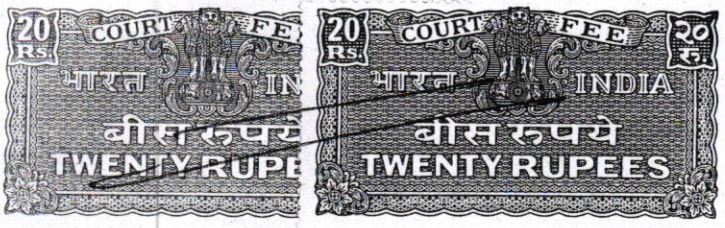

20 Rs. COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

अधिवक्ता श्री देवेन्द्र शुक्ला द्वारा पेश। 15-01-18

कापी आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

(1) राजेन्द्र पिता शिवराज मिश्रा उम्र 42 वर्ष
(2) त्रिवेणी पत्नी राजेन्द्र मिश्रा उम्र 35 वर्ष
दोनों निवासी ग्राम झिरिया थाना देवलोंद तह० ब्यौहारी जिला शहडोल (म०प्र०) :---निगरानी कर्ता

:-बनाम:-

जगन्नाथ मिश्रा पिता भोलईराम मिश्रा उम्र 68 वर्ष निवासी ग्राम झिरिया थाना देवलोंद तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल (म०प्र०)

:---गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील ब्यौहारी जिला शहडोल म०प्र० के राजस्व प्र०क्र० 73/अ-12/14-15 आदेश दिनांक 06/05/2015.

जगन्नाथ मिश्रा बनाम शासन म०प्र०

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू॰रा॰सं॰

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

(1) यह कि निगरानी कर्ता, क्र० 1 ग्राम झिरिया पटवारी हल्का बुढ़वा रा०नि०मं० बुढ़वा तहसील ब्यौहारी स्थित अराजी नं० 302/2 रकबा 0.085 हे० के भूमिस्वामी एवं स्वत्व अधिपत्य धारी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/शहडौल/भू.रा./2018/435

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभि आदि के हस्ताक्षर
17/7/18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर सुना गया। आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख से परिलक्षित है कि यह नगरानी तहसीलदार व्यौहारी जिला शहडौल के प्रकरण कम. ांक 73 अ–12/14–15 में पारित सीमांकन् आदेश दिनांक 6–5–15 के विरूद्व राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के सर्किट कोर्ट रीवा में दिनांक 15–1–18 को 2 वर्ष 8 माह के विलम्ब से प्रस्तुत की गई हैं । 2/ आवेदक की ओर से उक्तानुसार विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन एंव पुष्टिकरण में शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन एंव पुष्टिकरण में शपथ पत्र के अभाव को देखते हुये 2 वर्ष 8 माह के विलम्ब को क्षमा किया जाना संभव नहीं है। आवेदक के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया है कि अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन में आवेदक की भूमि प्रभावित कर दी गई है इसलिये निगरानी ग्राह्य की जाकर गुणदोष पर सुनी जावे। यदि अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि प्रभावित होना मानता है तब वह स्वयं की भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक अथवा उनसे वरिष्ठ सहा0अधीक्षक भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलनशील न पाये जाने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	